सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ॰टाईप, पी॰डब्लू॰डी॰ (IB)
डोरण्डा, राँची
मो॰ : 9431114486

पत्रांक 909/मंत्री को॰

दिनांक 21-03-17

सचिव,

कल दिनांक 09.03.2017 को विभागीय मासिक बैठक में प्राप्त विभिन्न जिलों के प्रतिवेदनों से स्पष्ट हुआ कि धान खरीद के मामले में खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद में तत्परता नहीं बरतने तथा कतिपय चावल मिलों द्वारा खरीद केन्द्रो से धान का उठाव नहीं करने के कारण राज्य के किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों से व्यथित किसान दूरभाष पर प्रायः रोज अपनी पीड़ा मेरे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। बैठक में बनी सहमति के आधार पर यह सुनिष्चित करायें कि जो चिन्हित चावल मिलें धान का उठाव खरीद केन्द्रों के गोदामों से नहीं कर रही हैं उन्हें अविलम्ब सील करने की कार्रवाई की जाए।

खरीद एजेंसी 'नाकोफ' द्वारा किसानों का धान क्रय करने के बाद एक माह से अधिक समय तक भुगतान नहीं करने के सैकड़ों उदाहरण उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना प्रमण्डलों से आ रहे हैं। यदि 'नाकोफ' का यही रवैया जारी रहता है और वह किसानों को समय पर भुगतान नहीं करता है तो उसे काली सूची में डालने की प्रक्रिया आरंभ की जाय और 'नाकोफ' सहित खरीद में लगी अन्य एजेंसियों के मुख्यालयों एवं केन्द्र सरकार को भी इनसे संबंधित वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाय।

सरयू राय